

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अह हुकम में
२-३-२०१५	<p>वकील अभिषेक ^{प्रायोगिक} उपस्थित है। कदम सुनी गई। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त भूमि खण्ड नं० $\frac{393}{0.29}$, $\frac{394}{0.20}$ ग्राम बाढरामसर एवं भूमि खण्ड नं० $\frac{436}{0.70}$, $\frac{437}{1.17}$, $\frac{438}{0.88}$, $\frac{439}{1.05}$, $\frac{440}{1.28}$ ग्राम रामसर में प्रथम दृष्टया मंदिर बाकुरजी महाराज का दित नीदित होना प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रांपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरूर अस्थाई निषेधाज्ञा पार्यट किया जाता है कि वे भूमि खण्ड नं० $\frac{393}{0.29}$, $\frac{394}{0.20}$ ग्राम बाढरामसर एवं खण्ड नं० $\frac{436}{0.70}$, $\frac{437}{1.17}$, $\frac{438}{0.88}$, $\frac{439}{1.05}$, $\frac{440}{1.28}$ ग्राम रामसर को मूल वाद के निर्णय होने तक किसीको भी रदन, वय, दस्तांतरण नही करे।</p> <p>पत्रावली में सलसुमार होकर नम्बर से क्रम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ सलगन रहे। (७३)</p> <p>उप जिला जज मंगलपुर सिविल (10)</p>	